रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06052022-235597
CG-DL-E-06052022-235597

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 241]	नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 6, 2022/वैशाख 16, 1944
No. 241]	NEW DELHI, FRIDAY, MAY 6, 2022/VAISAKHA 16, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मई 2022

फा. सं. पीएनजीआरबी/वित्त/9-गैस वि.(2)/2021 (पी-3676).—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19), जो बोर्ड पर लागू है, की धारा 42 की उप-धारा (2) के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी नीतिगत निर्देशों के अनुसार और उक्त अधिनियम की धारा 11 के खंड (क) और (ञ) के तहत सौंपे गए कार्यों के निष्पादन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 की उप-धारा (2) के खंड (जेडए)के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (गैस एक्सचेंज) विनियम, 2020, में संशोधन करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है: अर्थात्: -

1 (1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (गैस विनिमय) संशोधन विनियम, 2022 कहा जाएगा ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (गैस विनिमय) विनियम, 2020 में, -

(क) विनियम 2 में, उप- विनियम (1)में-

(i) खंड (xxi) के बाद, निम्नलिखित खंड को सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(xxiक) "डिलीवरी प्वाइंट" का अर्थ है व्यापारित संविदाओं के लिए गैस की डिलीवरी के लिए स्थान जैसा कि बोर्ड द्वारा तय किया जाए;";

(ii) खंड (xxvi), को निम्नलिखित खंड से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:. :-

"(xxvi) "गैस केन्द्र" का अर्थ है डिलीवरी स्थान का एक समूह जो ऐसी क्षेत्रीय निकटता में है, जैसा कि बोर्ड द्वारा तय किया जाए । "

(ख) विनियम 44 में, उप विनियम(3)में, उप-खंड (ii) के उप-खंड में मद के लिए (झ) में निम्नलिखित मद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(झ) गैस केन्द्रों की पहचान और परिभाषित करने के लिए प्रक्रियाएं और डिलीवरी स्थान;"।

वन्दना शर्मा , सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./62/2022-23]

पाद टिप्पण : मूल विनियमों को फा. सं. पीएनजीआरबी/तकनीकी/35-गैस वि./(2)/2020 (पी-1687), दिनांक 28 सितंबर, 2020 द्वारा अधिसूचित किया गया था।

THE PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th May, 2022

F. No. PNGRB/Fin/9-Gas Ex (2)/2021 (P-3676).—In furtherance of the policy directives issued by the Central Government under sub-section (2) of section 42 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board, Act, 2006 (19 of 2006) which is binding upon the Board and in the performance of the functions entrusted under clauses (a) and (j) of section 11 of the said Act and in exercise of the powers conferred by clause (za) of sub-section (2) of section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Gas Exchange) Regulations, 2020, namely:--

1. (1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Gas Exchange) Amendment Regulations, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Gas Exchange) Regulations, 2020, -

a) In regulation 2, in sub regulation (1), -

(i) after clause (xxi), the following clause shall be inserted, namely: -

"(xxia) "delivery point" means the location for delivery of gas against the traded contracts as may be decided by the Board;";

(ii) for clause (xxvi), the following clause shall be substituted, namely: -

"(xxvi) "gas hub" means a group of delivery points which are in such regional proximity as may be decided by the Board;"

b) in regulation 44, in sub-regulation (3), in sub-clause (ii), for item (i), the following item shall be substituted, namely: -

"(i) procedures for identification and defining of gas hubs and delivery points;".

VANDANA SHARMA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./62/2022-23]

Foot Note : The principal regulations were notified vide F. No. PNGRB/Tech/35-GasEx/ (2)/2020 (P-1687), dated the 28th September, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.05.06 21:52:12 +05'30'